



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

वैमानिक संचार केंद्र, फर्रुखाबाद

Aeronautical Communication Station, Farrukhabad

ई-मेल: cnsicvifb@aai.aero फोन: 05692- 297690

संदर्भ संख्या:-भा.वि.प्रा./फर्रुखाबाद-09/संरक्षण/2021-22/929-931

दिनांक/ Date: - 03 -09 -2021

सेवा मे,

मेसर्स डी के इलेक्ट्रिकल्स,
प्लॉट न.-03, पुष्पक गार्डन, चिकलताना,
औरंगाबाद -431 007; महाराष्ट्र ।

विषय : वैमानिक संचार केंद्र, फर्रुखाबाद एवं डीवीओआर साइट जलालाबाद पर सीएनएस उपकरणों के रखरखाव एवं अनुरक्षण के लिए संरक्षण कार्य हेतु जॉब कांट्रैक्ट का कार्य आदेश ।

Sub: Work order for Job Contract for "Conservancy Work for Up keeping & Maintenance of CNS Equipment's at ACS, Farrukhabad and VOR Site Jalalabad".

संदर्भ References:

- 1- निविदा संख्या एएआई/एफबीडी/09/ई-निविदा/2021-22/01 (ई-बोली संख्या: आईडी संख्या 2021_एएआई_81653_1) के अनुसार उपरोक्त कार्य के लिए आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेज। (Your submitted documents for above said work in term of Tender No. AAI/FBD/09/E-tender/2021-22/01 (E-bid no.: ID No. 2021_AAI_81653_1)).
- 2- आपका वचनबद्धता पत्र दिनांक 19/07/2021 के संबंध में निविदा संख्या एएआई/एफबीडी/09/ई-निविदा/2021-22/01. (Your letter of Undertaking dated 19/07/2021 w.r.t.Tender No. AAI/FBD/09/E-tender/2021-22/01)
- 3- आपका मूल्य अनुसूची बी.ओ.क्यू. (Your Price Schedule BOQ)

महोदय / Dear Sir,

उपरोक्त विषय और संदर्भों के लिए, इस कार्यालय को निम्नलिखित दरों पर 24 महीने की अवधि के लिए वैमानिक संचार केंद्र, फर्रुखाबाद एवं डीवीओआर साइट जलालाबाद पर सीएनएस उपकरणों के रखरखाव एवं अनुरक्षण के लिए संरक्षण कार्य (ईएसएस) हेतु जॉब कांट्रैक्ट का कार्य आदेश देते हुए प्रसन्नता हो रही है। (Reference is made to above subject and references; this office is pleased to place Work Order for Job Contract for **Conservancy Work (ESS) for Up keeping & Maintenance of CNS Equipment's at ACS, Office Farrukhabad and VOR site Jalalabad** for a period of 24 months at the following rates):

क्रम सं. S. No.	कार्य का विवरण / Description of Work	जनशक्ति का प्रकार और मात्रा। / Type & Qty. of Manpower	कुल राशि / Total Amount 24 माह एवं 01 अकुशल श्रमिक / for 12 month for 01 no. unskilled manpower)
1	वैमानिक संचार केंद्र, फर्रुखाबाद एवं डीवीओआर साइट जलालाबाद पर सीएनएस उपकरणों के रखरखाव एवं अनुरक्षण के लिए संरक्षण कार्य। (Conservancy Work on Job Contract for the up keeping and Maintenance of CNS Equipment's at ACS, Office Farrukhabad and VOR site Jalalabad)	अकुशल/ Unskilled 01 संख्या	2,73,936/- (रुपये दो लाख तिहत्तर हजार नौ सौ छत्तीस मात्र/ Rupees Two Lakh Seventy three Thousand Nine Hundred Thirty Six Only)
Grand Total			2,73,936/-

[Signature]
03/09/21
प्रभारी अधिकारी
Officer In-charge
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
वैमानिक संचार केंद्र, फर्रुखाबाद-206001
A.C.S., Farrukhabad-206001
Page 1 of 4



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

वैमानिक संचार केंद्र, फर्रुखाबाद

Aeronautical Communication Station, Farrukhabad

ई-मेल: cnsicvifb@aai.aero फोन: 05692- 297690

नियम एवं शर्तें (Terms & Conditions)

- 1- ठेकेदार द्वारा वैधानिक प्राधिकारियों को भुगतान की गई ईएसआई, ईपीएफ राशि की प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर की जाएगी। एएआई द्वारा केवल ईपीएफ, ईएसआई और जीएसटी में नियोक्ता के योगदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

ESI, EPF amount paid to the statutory authorities by contractor shall be reimbursed on actual basis on the submission of documentary evidence. Only Employers contribution in EPF, ESI and GST shall be reimbursed by AAI.

- 2- न्यूनतम मजदूरी: लगे हुए श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली मजदूरी श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा समय-समय पर जारी न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी। श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा वर्ष में दो बार श्रम दरों को संशोधित किया जाता है। इसलिए ठेकेदार को न्यूनतम मजदूरी में अंतर की प्रतिपूर्ति के लिए संशोधित दरों के अनुसार श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के लिए दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। हालांकि, प्रतिपूर्ति पर ठेकेदार के प्रीमियम जैसी कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान या तो चेक द्वारा या ईसीएस के माध्यम से श्रमिक के खाते में मजदूरी जमा करने के माध्यम से किया जाएगा।

Minimum Wages: The wages to be paid to the workers engaged shall not be less than the minimum wages issued by labour commissioner (Central) time to time. The Labour rates are revised twice in a year by the labour commissioner (Central). Therefore, the contractor has to submit the documentary proof for the payment of minimum wages to labour as per revised rates, for reimbursement of differences in minimum wages. However, no additional amount such as contractor's premium will be paid on the reimbursement. The payment of minimum wages to labour shall be done either by cheque or by the way of crediting the wages in labour account through ECS.

- 3- बोनस:- ठेकेदार को इस कार्य को अंजाम देने के लिए कार्य पर लगाए गए, अपने कामगार को मासिक आधार पर पूर्ण मासिक वेतन भुगतान का 8.33% @ बोनस देना आवश्यक है।

Bonus: - The contractor is required to pay bonus @ 8.33% of full monthly wage payment on monthly basis to their workman employed to execute this work.

- 4- कार्य प्रारंभ: यह अनुबंध 20 सितंबर 2021 से प्रारंभ होगा। कार्यादेश कार्य प्रारंभ होने की तिथि से चौबीस (24) माह के लिए वैध होगा।)

Start of Work: This contract will be commencing from 20 Sep 2021. The work order shall be valid twelve (12) months from the date of commencing of work.)

- 5- भुगतान प्राधिकारी:- कार्यालय क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली।

Paying Authority: - Office of the Regional Executive Director, Airports Authority of India, New Delhi.

- 6- भुगतान का प्रकार: - मासिक और ई-भुगतान एएआई के पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा काम के संतोषजनक प्रमाणीकरण और निविदा दस्तावेज संख्या-एएआई/एफबीडी/09/ई-निविदा/2021-22/01 (ई-बोली संख्या: आईडी संख्या 2021_एएआई_81653_1) के नियमों और शर्तों को पूरा करने के अधीन है।

Mode of Payment: - Monthly and E-payment subjected to satisfactory certification of work by Supervising Officer of AAI and fulfilling the terms & conditions of Tender document no. AAI/FBD/09/E-tender/2018-19/01 (E-bid no. 2019_AAI_20315_1). सुरक्षा जमा (10%): -

- 7- सुरक्षा जमा: ठेकेदार अनुबंध मूल्य का 3% अर्थात रु। 8219/- (रुपये आठ हजार दौ सौ उन्नीस मात्र) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में नई दिल्ली में देय "भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण" के पक्ष में (लेकिन किसी अनुसूचित सहकारी बैंक या ग्रामीण बैंक से नहीं) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में। निविदा नियम और शर्तें (निविदा दस्तावेज के 22 के पृष्ठ संख्या 06 पर बिंदु 10)। एएआई द्वारा सुरक्षा जमा पर कोई ब्याज देय नहीं है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Office in-charge
Airports Authority of India
वैमानिक संचार केंद्र, फर्रुखाबाद-206609
A.C.S., Farrukhabad-209601

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

वैमानिक संचार केंद्र, फर्रुखाबाद

Aeronautical Communication Station, Farrukhabad

ई-मेल: cnsicvifb@aai.aero फोन: 05692- 297690



Security Deposit (10%): - The contractor shall deposit 3% of the contract value i.e. **Rs. 8219/- (Rupees Eight thousand two hundred nineteen only)** towards security deposit in the form of Demand Draft drawn in favour of "AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA" payable at New Delhi (but not from any scheduled cooperative bank or Gramin Bank) as per tender terms and conditions (Point 10 on page no. 06 of 22 of tender document). No interest on security deposit is payable by AAI.

- 8- **पर्यवेक्षण अधिकारी:** प्रभारी अधिकारी, फर्रुखाबाद उक्त कार्य के पर्यवेक्षक एवं प्रभारी होंगे। आपसे अनुरोध है कि इस कार्य आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर कार्यालय प्रभारी अधिकारी, एएआई, फर्रुखाबाद में कार्य की स्वीकृति के लिए उपस्थित होकर, अनुबंध को पूरा करें।

Supervising Officer: Officer In charge, Farrukhabad shall be supervisor and in charge of the above said work. You are requested to attend the office of Officer In charge, AAI, Farrukhabad within 1 week from the receipt of this work order, for acceptance of work and complete the contract agreement.

- 9- **समझौता:-** करार का निष्पादन एक गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर होगा जिसकी कीमत रु. 100/- (सौ रुपये मात्र) एवं स्टाम्प पेपर का मूल्य निविदा दस्तावेज के पृष्ठ 14 के बिन्दु 24 के अनुसार वहन किया जायेगा। ठेकेदार रुपये के मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा भी प्रस्तुत करेगा। 100/- (निविदा दस्तावेज के अनुबंध-6 के अनुसार) और स्टाम्प पेपर की लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।

Agreement: - The contract agreement shall be executed on a non-judicial stamp paper of value Rs. 100/- (Rupees Hundred Only) and the cost of the stamp paper shall be borne by you **as per point 24 on Page 14 of 22 of Tender document**. The contractor shall also submit an affidavit on a non-judicial stamp paper of value **Rs. 100/-** (as per annexure-6 of tender document) and cost of the stamp paper shall be borne by the Contractor.

- 10- **अनुबंध की अवधि:** यह अनुबंध शुरू में "सेवा शुरू होने की तिथि" से शुरू होने वाले दो वर्ष की अवधि के लिए है जैसा कि अनुबंध / अनुबंध दस्तावेज में दर्शाया गया है। अनुबंध के दूसरे वर्ष के समाप्त होने पर ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई संतोषजनक सेवा के अधीन, अनुबंध को बारह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

Period of Contract: This contract is initially for a period of two years commencing from the "date of commencement of service" as indicated in the contract/contract document. The contract may be renewed for an additional period of twelve months, subject to satisfactory service rendered by the contractor at the end of the second year of the contract.

- 11- **मध्यस्थता :-** निविदा दस्तावेज के पेज नं. 22 में से 14 के बिंदु संख्या 26 के अनुसार ।

Arbitrator: - As per point no. 26 of tender document on Page no. 14 of 22.

- 12- **ठेके की समाप्ति:** - निविदा दस्तावेज के पृष्ठ संख्या पर 22 में से 12 के बिंदु संख्या 18 और 19 के अनुसार।

Termination of Contracts: - As per point no. 18 & 19 of tender document on Page no. 12 of 22.

- 13- **रिकॉर्ड:** निविदा दस्तावेज बिंदु संख्या के 29 के पृष्ठ 22 में से 15 के अनुसार, आपको काम शुरू होने के बाद से वैधता अवधि तक सभी प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने और बनाए रखने चाहिए।

Records: You should submit & maintain all the relevant documents after start of work and up to validity period as per point no. 29 of tender document on page 15 of 22.

- 14- **भुगतान का तरीका:** निविदा दस्तावेज के पेज संख्या 22 में से 13 के बिंदु संख्या 21 के अनुसार।

Payment Method: As per point no. 21 of tender document on Page no. 13 of 22.

- 15- **अनुबंध श्रम विनियम:** निविदा दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 22 में से 11 के बिंदु संख्या 13 के अनुसार।

Contract Labour Regulations: As per point no. 13 of tender document on Page no. 11 of 22.

- 16- निविदा दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 22 में से 16 के बिंदु संख्या 5 के अनुसार, तैनात व्यक्ति के अनुपस्थित रहने और उसके बदले में कोई प्रतिस्थापन प्रदान नहीं किए जाने पर रु. 500/- प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना देय होगा।

[Signature]
08/09/21
प्रभारी अधिकारी
Officer In-charge
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
वैमानिक संचार केंद्र, फर्रुखाबाद-206609
A.C.S., Farrukhabad-206609
Page 3 of 4



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

वैमानिक संचार केंद्र, फर्रुखाबाद

Aeronautical Communication Station, Farrukhabad

ई-मेल: cnsicvifb@aai.aero फोन: 05692- 297690

As per tender documents point no. 5 on page 16 of 22, a fine of Rs.500/- per day will be payable in the absence of the deployed manpower and no replacement is provided for him.

- 17- आप सप्ताह में छह दिन यानी महीने में 26 दिन, कुल एक अकुशल जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। ड्यूटी का समय परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार समय समय-समय पर तय किया जाएगा और तदनुसार सूचित किया जाएगा।

You will be responsible for ensuring the availability of total one no. of unskilled manpower for six days in a week i.e. 26 days in a month. The time of duty will be decided from time to time as per the operational requirements and will be communicated accordingly.

- 18- आपको अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के नियमों और प्रावधानों का पालन करना होगा, अनुपालन के लिए जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकारें ईपीएफ निर्देशित और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 और ईएसआई अधिनियम 1948, अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1936, कामगार मुआवजा अधिनियम 1923, और अन्य विनियमों, अधिनियमों, नियमों और निर्देशों के साथ, अद्यतन के साथ, से समय-समय पर जारी/लागू होगा।

You have to comply with the rules and provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970 and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971 and the Minimum Wages Act 1948, the central and state governments responsible for compliance with the EPF Directed and Miscellaneous Provisions Act 1952 and ESI Act 1948, Inter-State Migrant Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act 1936, Workmen's Compensation Act 1923, and other Regulations, Acts, Rules and Directions, with updates, from time to time will be issued/applicable.

- 19- कृपया इस कार्य आदेश की प्राप्ति की पावती दें और इस कार्य आदेश की डुप्लिकेट प्रति, आपकी स्वीकृति के प्रतीक के रूप में, हस्ताक्षर करने के बाद 7 दिनों के भीतर इस पत्र अधोहस्ताक्षरी को लौटा दें।

Please acknowledge the receipt of this work order & return the duplicate copy of this letter within 7 days after signing it, to the undersigned as a token of your acceptance for this work order.

- 20- निविदा दस्तावेज एवं कार्यादेश में उल्लिखित अन्य सभी नियम और शर्तें इस अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान समान और मान्य रहेंगी।

All other terms & conditions mention in tender document will remain same and valid during entire period of this Contract.

(देवेंद्र सिंह)

प्रभारी अधिकारी
Officer in-charge

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India

1/89डी, सिविल लाइन्स, फर्रुखाबाद-209601
A.C.S., Farrukhabad-209601

प्रतिलिपि :

- 01- महाप्रबंधक (संचार)- उ. क्षे., परिचालन कार्यालय, गुड़गांव रोड, रंगपुरी, नई दिल्ली -110037
02- महाप्रबंधक (वित्त)- उ. क्षे., परिचालन कार्यालय, गुड़गांव रोड, रंगपुरी, नई दिल्ली -110037